15वें वित्त आयोग चक्र के लिए
एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना
(वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26)

संचालन दिशा-निर्देश

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	एपीडा के बारे में	3
2	योजना घटक	4
3	सहायता का स्वरूप निर्यात अवसंरचना का विकास गुणवत्ता विकास बाज़ार विकास	 5 5 6
4	विशिष्ट/सामान्य आवश्यकताएं और शर्तें	22
5	आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन भरने की प्रक्रिया	25
6	स्वीकृति हेतु प्रक्रिया	25
7	अंतिम दावा दस्तावेज़ प्रस्तुति	26
8	वित्तीय सहायता का संवितरण	28
9	संलग्नक	29

संचालन हेतु दिशा-निर्देश

15वें वित्त आयोग चक्र के लिए
एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत
वित्तीय सहायता
(वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26)

1. एपीडा के बारे में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। एपीडा का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात का विकास और संवर्धन करना है:

क.) फल, सब्जी तथा उनके उत्पाद
ख.) मांस तथा मांस उत्पाद
ग.) कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
घ.) डेयरी उत्पाद
ङ.) कन्फेक्शनरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
च.) शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
छ.) कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
ज.) मादक तथा गैर मादक पेय
झ.) अनाज तथा अनाज उत्पाद
ञ.) मूंगफली और अखरोट
ट.) अचार, चटनी और पापड़
ठ.) ग्वार गम
ड.) पुष्पकृषि तथा पुष्पकृषि उत्पाद
ण.) जड़ी बूटी तथा औषधीय पौधे
प.) काजू गुठली, काजू खोल तरल, कार्डानॉल

एपीडा अधिनियम के खंड 10(2) में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है:

i. सर्वेक्षण और साध्यता सम्बन्धी अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके या अन्यथा, संयुक्त प्रोद्यमों के माध्यम से साधारण पूंजी में भाग लेकर और अन्य अनुतोषों और सहायकी स्कीमों के रूप में निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योग का विकास;
ii. व्यक्तियों का अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकर्ताओं के रूप में ऐसी फीस का जो विहित की जाएँ, संदाय किए जाने पर रजिस्ट्रीकरण;
iii. निर्यात के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित उत्पादों के मानक और विनिर्देश स्थिर करना;
iv. मांस और मांस उत्पादों का किसी वधशाला प्रसंस्करण संयंत्र, भण्डारकरण परिसर, प्रवहण या ऐसे अन्य स्थानों में जहाँ ऐसे उत्पाद रखे जाते हैं या उनकी देखभाल की जाती है, ऐसे उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करने प्रयोजन के लिए निरीक्षण करना;
v. अनुसूचित उत्पादों के पैकेजिंग में सुधार करना;
vi. अनुसूचित उत्पादों के भारत से बाहर विपणन में सुधार करना;
vii. अनुसूचित उत्पादों के निर्यतान्मुखी उत्पादन का संवर्धन और उसका विकास;
viii. अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण पैकेजिंग विपणन या निर्यात में लगे हुए कारखानों या स्थापनों के स्वामियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जो विहित किए जाएँ, अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी विषय पर आकंड़ों का संग्रहण और इस प्रकार संगृहित आंकड़ों या उनके किन्ही भागों का या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन;
ix. अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण;
x. ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एपीडा को भारत या भारत के बाहर 'विशिष्ट उत्पादों' के संबंध में बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के पंजीकरण और संरक्षण का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान में, एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बासमती चावल एकमात्र 'विशिष्ट उत्पाद' है। लंबे प्रयासों के बाद एपीडा फरवरी 2016 में बासमती चावल हेतु जी.आई पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।

एपीडा, जैविक उत्पादन के लिए प्रत्यायन और प्रमाणीकरण कार्यक्रम निर्दिष्ट करते हुए राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के लिए भी सचिवालय है। जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम में गैर-एपीडा अनुसूचित उत्पादों सहित सभी कृषि कमोडिटीज़ सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दस लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया गया है और जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु यह प्रमाणीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है ।

2. योजना के घटक

वित्तीय सहायता योजना (एफ.ए.एस.) एपीडा द्वारा संचालित एक निर्यात संवर्धन योजना है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। यह निम्नलिखित के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है:

- कृषि-निर्यातकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों को समझना।

- एपीडा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना।
- वित्तीय सहायता तीन व्यापक क्षेत्रों में प्रदान की जाती है: निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास।

i) निर्यात अवसंरचना का विकास

एपीडा द्वारा कृषि-उद्योगों के विकास और मूल्य श्रृंखला में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अवसंरचना के महत्व को निर्धारित किया जाता है। योजना घटक में ताजा उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों के खराब होने से होने वाले नुकसान को कम करना और उनका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसे प्राप्त करने के लिए फसल कटाई के बाद की हैंडलिंग सुविधाओं को स्थापित करने की मांग की जाती है। इस घटक के अंतर्गत, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

- पैकिंग/ग्रेडिंग लाइन के साथ पैक हाउस सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं
- कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतित रेफ्रीजिरेटर परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग इकाइयां।
- केले जैसी फसलों के प्रबंधन के लिए केबल प्रणाली
- सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं
- आयातक देशों की फाइटो-स्वच्छता आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए विकिरण, वाष्प ताप उपचार (वीएचटी), गर्म पानी डुबकी उपचार (एचडब्ल्यूडीटी) जैसी पूर्व-शिपमेंट उपचार सुविधाएं
- मिस्सिंग गैप को दूर करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं (प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद) के लिए अवसरंचना जिसमें एक्स-रे, स्क्रीनिंग, सॉर्टेक्स, गंदगी / मेटल डिटेक्टर, सेंसर, वाइब्रेटर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए या कोई नया उपकरण या प्रौद्योगिकी जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं।

ii) गुणवत्ता विकास

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने/शामिल होने के लिए विभिन्न देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। कई आयातक देश कड़े अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एमआरएल) के पालन की मांग करते हैं। कुछ विकसित आयातक देशों ने बहुत कम स्तर पर एमआरएल स्थापित किए हैं। इसके लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उच्च परिशुद्धता वाले उपकरणों को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस घटक के अंतर्गत, आयातक देशों के निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के अंतर्गत, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना,
- प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण,
- ट्रैसेबिलिटी सिस्टम और नमूना परिक्षण (सैम्पल टेस्टिंग) आदि के लिए फर्म स्तर पेरिफेरल निदेशांक को कैप्चर करने के लिए हैंडहेल्ड उपकरण
- पानी, मिट्टी, अवशेषों या कीटनाशकों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातु, दूषित पदार्थों आदि का परीक्षण।

iii) बाजार विकास

यह घटक निर्यातकों को नए बाजारों में बाजार पहुंच हासिल करने और मौजूदा बाजारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में मदद करता है। इसमें खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए संरचित विपणन योजनाएं, सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार आसूचना जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग शामिल हैं। इस घटक के अंतर्गत, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी
- व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान
- खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन
- नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों का विकास करना और मौजूदा मानकों का उन्नयन करना।

नई वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के लिए
घटक-वार दिशानिर्देश - 2021-26

I – निर्यात अवसंरचना का विकास

- पूंजीगत संपत्ति के निर्माण; एकीकृत पैक-हाउस, इंसुलेटेड रेफ्रिजेरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल/मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट, सिंगल या मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सुविधाएं, कोल्ड स्टोर/वेयरहाउस, कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेटर, फ्यूमिगेटेड स्टोर्स और सिलोस आदि की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध है।
- **जैविक के लिए ट्रेसबिलिटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, एपीडा अनुसूचित उत्पादों के साथ योजना के अंतर्गत भी पात्र हैं।**

1.	**प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला अवसरंचना की स्थापना के लिए सहायता**		
	लाभार्थी: एपीडा पंजीकृत निर्यातक 1 (ए) - (ई) के अंतर्गत केंद्र, राज्य सरकार के संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 1 (एफ) के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क)	**मिस्सिंग गैप को दूर करने के लिए एकीकृत पैक हाउस और प्रसंस्करण** सुविधाओं में संग्रह, सफाई, धुलाई, छंटाई / ग्रेडिंग, प्री-कूलिंग, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, हैंड हेल्ड नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनआईआर) इंस्ट्रूमेंट (आम के फलों के लिए कटाई पूर्व गुणवत्ता मूल्यांकन) के लिए उपकरण, वाष्प ऊष्मा उपचार आदि शामिल हैं, और मिस्सिंग गैप को दूर करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं।	फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं के अनुपालन में सुधार।	यह सहायता कुल लागत का 40% तक होगी जो 200 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी
ख)	पशुधन वाहकों के लिए विशेष वाहन सहित इंसुलेटेड, रीफर ट्रांसपोर्ट/मोबाइल प्री-कूलिंग इकाइयों की खरीद	कोल्ड –चेन सुदृढ़ीकरण	यह सहायता कुल लागत का 40% तक होगी जो 200 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी
ग)	केले और अन्य फसलों के लिए केबल प्रबंधन प्रणाली	केले और अन्य फसलों की गुणवत्ता में सुधार।	यह सहायता कुल लागत का 40% तक होगी जो 200 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी

घ)	मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए उत्पादकता / दक्षता या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक मिस्सिंग गैप का पता लगाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं जिसमें एक्स-रे, स्क्रीनिंग उपकरण, सॉर्टेक्स, आईक्यूएफ, कुकिंग / ब्लैंचिंग लाइन, गंदगी / मेटल डिटेक्टर, सेंसर, वाइब्रेटर या कोई भी ऐसी सुविधाएं खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए नई तकनीक या उपकरण शामिल हो सकते हैं। ।	मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए उत्पादकता, दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाना।	यह सहायता कुल लागत का 40% तक होगी जो 200 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी
ड)	उपलिखित (क) से (घ) में उल्लिखित सुविधाओं का उन्नयन	प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यातकों की मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन और आधुनिकीकरण	यह सहायता कुल लागत का 40% तक प्रत्येक स्थान प्रत्येक लाभार्थी होगी जो 200 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी
टिप्पणी : 1 उपरोक्त उल्लेखित (क) से (घ) सभी गतिविधियों के लिए प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम सहायता 200 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, इस शर्त के साथ कि इस उप घटक के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली अधिकतम सहायता पंचवर्षीय योजना अवधि (2021-26) के दौरान प्रति लाभार्थी 500 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।			
च)	केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा स्थापित की जाने वाली एकीकृत पैक हाउस, प्रसंस्करण इकाइयां, प्रयोगशालाएं आदि जैसी सामान्य अवसरंचना सुविधाएं	क्लस्टर विकास की सुविधा, उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार	यह सहायता 600 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की शर्त पर स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत तक होगी। बैंक गारंटी के प्राप्त होने पर धनराशि जारी की जाएगी।

II. अवसंरचना विकास के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं और शर्तें

आवेदक द्वारा निर्यात अवसंरचना विकास के अंतर्गत उप-घटकों के लिए प्रासंगिक निम्नलिखित विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:

I. (क) मिसिंग गैप का पता करने के लिए एकीकृत पैक हाउस और प्रसंस्करण सुविधाएं:

i. पैकहाउस/कोल्ड स्टोरेज/पूर्व-शीतलन के प्रस्ताव कम से कम नेशनल काउंसिल फॉर कोल्डचेन डेवलप्मेंट (एन.सी.सी.डी) के कोल्ड चेन तकनीक मानकों पर आधारित होंगे जो कि linkhttp://nccd.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एपीडा के निर्देशानुसार समय-समय पर आयातक देशों को आवश्यकता का पालन करना होगा।

ii. लाभार्थी के पास या तो उसके/उसकी नाम पर जमीन/कंपनी होनी चाहिए या उसके नाम या कंपनी के नाम पर पट्टे पर दी गई भूमि, न्यूनतम शेष 15 वर्ष की अवधि के साथ होनी चाहिए।

iii. पैक-हाउसों के मिसिंग गैप के अंतर्गत वैक्सिंग उपकरण/मशीन पात्र होंगे।

iv. आम और अन्य बागवानी उत्पादों के मापन के लिए हैंड हेल्ड नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनआईआर) उपकरण की पात्रता को शामिल किया गया है।

v. इस उप घटक के अंतर्गत मोबाइल पैक-हाउस/फसल कटाई उपरांत प्रबंधन प्रणाली को शामिल किया गया है।

vi. परियोजना के तकनीकी सिविल कार्य घटक के लिए वित्तीय सहायता उस आवेदन की कुल पात्र वित्तीय सहायता के अधिकतम 25% तक सीमित होगी।

1 (ख). पशुधन वाहकों के लिए विशेष वाहन सहित इंसुलेटेड, रीफर ट्रांसपोर्ट/मोबाइल प्री-कूलिंग इकाइयों की खरीद:

i. उद्धरण मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या उनके अधिकृत वितरक/उपकरण डीलर के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर होना चाहिए, वैधता के साथ डिजिटल या विधिवत हस्ताक्षर किए गए हो और अन्य नियमों और शर्तों निम्नलिखित है:

- निर्माण और मॉडल के साथ चेसिस
- निर्माण और मॉडल के साथ कंटेनर
- निर्माण और मॉडल के साथ रेफरीजेरेशन प्रणाली

ii. मर्चेंट निर्यातकों के लिए संपूर्ण योजना अवधि के लिए अधिकतम 2 वाहनों की अनुमति होगी। निर्माता निर्यातकों के लिए संपूर्ण योजना अवधि के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा 5 होगी। हिमालयी और लैंड लॉक राज्य सरकारों के संदर्भ में, रीफर वैन की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। छोटी इकाइयों के लिए भुगतान लागू एनसीसीडी दिशानिर्देशों के आधार पर यथानुपात गणना पर किया जाएगा।

1 (ग) केले और अन्य फसलों के लिए केबल प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना:

केबल कार प्रणाली सभी बागवानी फसलों को कवर किया जाएगा।

1 (घ) मिस्सिंग गैप पता लगाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं:

i. मूल्यवर्धन में उत्पादों का प्राथमिक प्रसंस्करण शामिल किया जाए।
ii. इकाई में खाद्य प्रसंस्करण लाइन पहले से ही स्थापित और चालू किया जाए।
iii. यूनिट में एचएसीसीपी/आईएसओ 22000 जैसी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए।
iv. खाद्य प्रसंस्करण लाइन में केवल उपकरण और मशीनरी शामिल की जाए।
v. सप्लाई चेन में ब्लॉक चेन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे ट्रेसबिलिटी सिस्टम को लागू करना भी शामिल है।

1 (ड) उपरोक्त (क) से (घ) में उल्लिखित सुविधाओं का उन्नयन

i. सुविधाओं के उन्नयन में मशीनरी का उन्नयन/मौजूदा सुविधाओं का स्वचालन शामिल होगा जैसा कि ऊपर (क) से (घ) में उल्लिखित है।

1 (च) सामान्य अवसंरचना सुविधाएं

सामान्य अवसंरचना सुविधाओं में राज्य/केंद्रीय संस्थानों के माध्यम से निकास बिंदुओं पर सृजित की जाने वाली सुविधाएं शामिल होंगी।

सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा, (यदि मूल दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उन्हें स्व-प्रमाणित अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करें):-

i. अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज़।
ii. ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान से योजना के लिए विशिष्ट विस्तृत मूल्यांकन नोट, यदि लागू हो।
iii. आवेदक के निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र, कंपनी के सम्बन्ध में ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन)/आवेदक के उपनियम आदि।
iv. पिछले दो वर्षों की आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।
v. आवेदक या भूमि पट्टे के नाम पर भूमि के स्वामित्व के समर्थन में मुख्य सुविधा भूमि दस्तावेजों का स्व-सत्यापित अंग्रेजी / हिंदी संस्करण, 15 वर्षों की न्यूनतम शेष अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ विधिवत रूप से पंजीकृत है।
vi. सक्षम प्राधिकारी से मुख्य सुविधा भूमि के लिए परियोजना के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति।
vii. पूर्ण स्वामित्व भूमि/न्यायसंगत बंधक सभी विसंगतियों से मुक्त और आवेदक के कब्जे में सहायता पर विचार करने के लिए पूर्व-अपेक्षित है। यदि किसी भी स्तर पर भूमि के लिए कोई विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो परियोजना के निष्पादन के दौरान या उसके बाद, एपीडा सभी सहायता राशि ब्याज (जीएफआर के अनुसार) और जुर्माने के साथ उसके किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना वसूल करेगा।

viii. आयातित/स्वामित्व वाली वस्तुओं को छोड़कर परियोजना के लिए संयंत्र और मशीनरी और उपकरण, आदि के आपूर्तिकर्ताओं से तीन कोटेशन।

ix. सुविधा/परियोजना की स्थापना के लिए आवेदक को केंद्र, राज्य और अन्य सांविधिक निकायों से आवश्यक अनुमतियों की प्रतियां जमा करनी होंगी।

x. इस परियोजना के लिए बैंक/वित्तीय संस्थान से स्वीकृत सावधि ऋण की प्रति, यदि लागू हो, संलग्न की जाए।

xi. चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत अनुमोदित परियोजना का ड्राइंग/लेआउट आरेख।

xii. यदि आवेदक/लाभार्थी किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर रहा है, तो प्रस्ताव के लिए विशिष्ट बैंक/वित्तीय संस्थान से एक विस्तृत मूल्यांकन नोट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विस्तृत मूल्यांकन नोट के बिना बैंक/एफआई द्वारा केवल मुहर लगाई गई या अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/तकनीकी आथक व्यवहार्यता रिपोर्ट को वैध मूल्यांकन नोट के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

xiii. यदि आवेदक/लाभार्थी किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं ले रहा है, तो आवेदक संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समर्थित प्रस्तावित परियोजना के औचित्य और व्यवहार्यता के साथ एक विस्तृत मूल्यांकन नोट संलग्न किया जाए।

xiv. जिन आवेदकों ने किसी अन्य एजेंसी से अनुदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, उन्हें इसके बारे में डीपीआर जमा करते समय एपीडा को सूचित करना होगा और यदि किसी अन्य सरकार से उसी घटक के लिए अनुदान प्राप्त किया गया है। एजेंसी, आवेदक उसी घटक के लिए एपीडा से वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

xv. एपीडा 5% की दर से संवितरित राशि + जीएसटी (किसी भी परिस्थिति में गैर-वापसी योग्य) पर प्रसंस्करण शुल्क (जैसा कि डीओसी द्वारा अनुमोदित है) वसूलेगा। प्रसंस्करण शुल्क आवेदक को धनराशि जारी करते समय काटा जाएगा। एपीडा द्वारा काटा गया प्रसंस्करण शुल्क परियोजना लागत का हिस्सा होगा।

xvi. यदि किसी भी स्तर पर, किसी भी तकनीकी या वित्तीय कारण से कोई परियोजना शुरू नहीं हो पाती है, तो लाभार्थी पूरी सहायता राशि (प्रसंस्करण शुल्क सहित), 10% प्रति वर्ष ब्याज और वितरित अनुदान के 5% तक जुर्माना चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।

xvii. निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहायता अनुदान 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में जारी किया जाएगा: -

क) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान के 40% की पहली किस्त परियोजना की पूरी अवधि के साथ-साथ 12 महीनों के लिए वैध समकक्ष राशि की वैध बैंक गारंटी की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

ख) योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान के 40% की दूसरी किस्त निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी

- जारी अनुदान की पहली किस्त का उपयोग (परिशिष्ट IV),
- सभी बिलों और बैंक स्टेटमेंट के साथ सीए प्रमाणपत्र (परिशिष्ट V)
- भुगतान की अगली किश्त जारी करने की अनुशंसा करते हुए भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट। (एपीडा द्वारा दिया जाएगा)
- एपीडा द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

xviii. योजना के तहत अनुमोदित अनुदान के 20% की अंतिम किस्त परियोजना के चालू होने पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ ओ एंड एम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ जारी की जाएगी।

- जारी अनुदान की दूसरी किस्त का उपयोग (परिशिष्ट IV),
- सभी बिलों और बैंक स्टेटमेंट के साथ सीए प्रमाणपत्र (परिशिष्ट V)

- भुगतान की अगली किश्त जारी करने की अनुशंसा करते हुए भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट। (एपीडा द्वारा दिया जाने वाला)
- जारी अनुदान एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा जो विशेष रूप से प्रस्तावित परियोजना के लिए खोला गया था। बैंक खाते की एक प्रति जमा करनी होगी।
- एपीडा द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

कार्यान्वयन अनुसूची और जुर्माना:

i. परियोजना के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम समझौता ज्ञापन में निर्धारित अवधि के अनुसार होगा। एपीडा के सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना कार्यान्वयन अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

ii. आईपीए/एमओयू के अनुसार परियोजना के गैर-कार्यान्वयन या विचलन के सम्बन्ध में, एपीडा परियोजना के लिए दी गई मंजूरी को रद्द कर सकता है और लाभार्थी, सहायता के जारी होने की तिथि से एपीडा को 10% प्रति वर्ष की दर से पूरी राशि (प्रसंस्करण शुल्क सहित) वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। एपीडा के कब्जे में बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

iii. एपीडा परियोजना के किसी भी चरण में कोई स्पष्टीकरण और/या कोई दस्तावेज़/सूचना की मांग कर सकता है।

iv. यदि किसी भी समय एपीडा के संज्ञान में यह आता है कि अनुदान सूचना/तथ्यों के हेरफेर/छिपाने से लिया गया है, तो इसे तुरंत वापस ले लिया जाएगा और जारी की गई राशि, यदि कोई हो, को 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस किया जाएगा ।

v. एपीडा की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना, सरकारी अनुदान से पूर्णतः या पर्याप्त रूप से सृजित परिसम्पत्तियों का निपटान या बाध्य या उन उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिनके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस शर्त का पालन न करने की स्थिति में आवेदक को अनुदान की दर 10% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। आवेदक द्वारा सहायता अनुदान राशि को ब्याज सहित वापस करने में विफल रहने की स्थिति में, संबंधित कानून के अनुसार बकाया राशि की वापसी भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

vi. आवेदक द्वारा नियमित रूप से एपीडा की वेबसाइट पर मासिक निर्यात विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

II. गुणवत्ता विकास

2.	**ट्रेसबिल्टी सिस्टम हेतु फर्म स्तर पेरिफेरल निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए वैश्विक मानकों, हैंड हेल्ड डिवाइस के अभिग्रहण हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों, मानकीकरण, हर्मोनैजेशन का कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण**		
	लाभार्थी : एपीडा पंजीकृत निर्यातक 2 (क) और 2 (ग) के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय और सूचीबद्ध प्रयोगशालाएं 2 (ग) के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं ।		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क)	सभी एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए गुणवत्ता	खाद्य सुरक्षा अनुपालन करना।	यह सहायता कुल लागत के 50

	और खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन प्रणालियों का कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण।		प्रतिशत तक होगी जो प्रति प्रमाणन 5 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी। सहायता प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के लिए भी लागू होगी
ख)	मानकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य, जिसमें विशेष मामले जैसे फल संक्रमण का नियंत्रण और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार किसी अन्य अप्रत्याशित प्रकोप शामिल हैं।	अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों को शुल्क के भुगतान सहित अंतरर्राष्ट्रीय मानकों के साथ हर्मोनैजेशन	घटक को एपीडा द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
ग)	ट्रेसबिल्टी सिस्टम के लिए फर्म स्तर पेरिफेरल निदेशांक को कैप्चर करने के लिए सॉफ्टवेयर की लगत सहित हैंड होल्ड उपकरणों का क्रय करना। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली, सॉफ्टवेयर, ब्लॉक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), या कोई अन्य उच्च परिशुद्धता तकनीक शामिल होगी।	फर्म स्तर पर उपज की ट्रेसबिल्टी सुनिश्चित करने और आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए	यह सहायता उपकरण की लागत के 50% तक होगी, जो प्रति लाभार्थी 20 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी

3 तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का सुदृढ़ीकरण

लाभार्थी : 3 (क) के लिए एपीडा पंजीकृत निर्यातक, सूचीबद्ध प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय, राज्य एजेंसियां आदि।

3(ख) के लिए - मान्यता प्राप्त व्यापार निकायों, वाणिज्य मंडलों, सरकारी एजेंसियों आदि जैसे संगठन आवेदन करने के पात्र हैं।

	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क)	भारत और विदेशों में प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राएं।	क्षमता निर्माण, हितधारक का विकास सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना	यह सहायता यात्रा लागत और प्रशिक्षण शुल्क के 50% तक होगी, जो प्रति प्रतिभागी प्रति वर्ष अधिकतम 3 लाख रुपये होगी। प्रति संगठन एक प्रतिभागी तक सीमित होगा। एपीडा अधिकारियों के लिए 100% होगा।

ख)	एपीडा द्वारा आयोजित/प्रायोजित/सहायता प्राप्त संगोष्ठी/कार्यशाला/आउटरीच कार्यक्रम आदि जिसमें आवश्यकता पड़ने पर नियमावली, ब्रोशर, दिशानिर्देश आदि तैयार करना शामिल है।	हितधारकों की जागरूकता	यह सहायता 5 लाख रुपये तक की होगी। हालांकि एपीडा के सम्बन्ध में 100% होगा।

4.	**राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) और अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थानों को कृषि रसायन, कीटनाशकों, एफ्लाटॉक्सिन, आदि के अवशेषों की निगरानी के लिए सहायता**		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क.	कृषि रसायन, कीटनाशकों, एफ्लाटॉक्सिन आदि के अवशेषों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) और अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थानों को सहायता। इसमें संबंधित उत्पादों के लिए राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशालाओं / सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थाओं की सहायता करके वैश्विक मानकों के अनुसार एमआरएल (अधिकतम अवशेष सीमा) आदि का अनुपालन शामिल है।	कार्यक्षेत्र : सम्बन्धित उत्पाद के लिए नॅशनल रेफरल प्रयोगशालाओं/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ संस्थानों को सहायता प्रदान करने के द्वारा वैश्विक मानकों के आधार पर एम.आर.एल आदि का अनुपालन करना। इस प्रकार के संस्थान निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगें :- 1. निर्यात के लिए मोनिटर किए गए कीटनाशकों और संदूषकों की वार्षिक अनुशंसित सूची का निर्माण। 2. अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पद्धतियों के साथ अधिकृत प्रयोगशालों द्वारा सैम्पलिग़ और विश्लेषण के लिए अपनाई गई पद्धति और अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए अपनाई गई हर्मोनाइज्ड पद्धतियों को विकसित करना। 3. प्रत्येक अवशिष्ट या अवशिष्टों के समूहों के लिए सैम्पलिंग और विश्लेषण को सुनिश्चित करने और प्रयोगशाला कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशालों की विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने हेतु प्रवीणता परीक्षा (पी.टी) कार्यक्रम आयोजित करना और प्रयोगशालाओं में निरीक्षण दौरे आयोजित कर यह सुनिश्चित करना कि क्या निम्लिखित निर्धारित मानदंडों का पालन किया जा रहा है। 4. अगले वर्ष के लिए कार्रवाई की योजना के आधार पर वार्षिक विश्लेषण आकंड़ों की समीक्षा करना।	यह एपीडा द्वारा लागू किया गया 100% होगा (सभी अनुसूचित उत्पादों के लिए लागू)

5.	**पानी, मिट्टी, कीटनाशक के अवशेषों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातुओं के संदूषकों, माइक्रोबियल गिनती आदि का परीक्षण यह उन सभी अनुसूचित उत्पादों पर लागू होता है जिन पर एपीडा द्वारा निगरानी की जाती है।** **लाभार्थी :** एपीडा ने प्रयोगशालाओं और पंजीकृत निर्यातकों को मान्यता दी।		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
	एपीडा अनुसूचित उत्पादों में पानी, मिट्टी, कीटनाशकों के अवशेष, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातु, माइक्रोबियल गिनती आदि का परीक्षण।	गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना	यह सहायता कुल लागत का 50 प्रतिशत तक होगी, बँया जा सकता है, बँह प्रति नमूना 5000 रुपये की अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी: 5 वर्षों के दौरान 20 लाख रुपये (2021-22 से 2025-26)
6.	**नए पौधों की शुरुआत/बीज/ निर्यातोन्मुखी के लिए जर्मप्लाज्म किस्में /संभावित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्में।**		
	लाभार्थी : एपीडा पंजीकृत निर्यातक और भारत सरकार/राज्य सरकार के संस्थान		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क)	एपीडा अनुसुचित उत्पादों के नए पौधों की शुरुआत/बीज/ निर्यातोन्मुखी के लिए जर्मप्लाज्म किस्में /संभावित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण	नई किस्मों की रोपण सामग्री का परिचय कृषि मंत्रालय और आईसीएआर जैसे अनुसंधान संस्थानों का अधिदेश है । हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने के लिए और अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं / स्वाद को पूरा करने के लिए, ऐसे बाजारों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, एपीडा भारत सरकार के संस्थानों/निर्यातकों को इस तरह की पहल के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करता है ।	यह सहायता आयातित पादप सामग्री की लागत का 90 प्रतिशत तक संबंधित अनुसंधान संस्थानों को और निर्यातकों को 60 प्रतिशत तक होगी, जो 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक होगी। तथापि, पौधों के चयन, आयात के नियमों और शर्तों से संबंधित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मंजूरी शामिल है

			यदि कोई और रॉयल्टी के नियम और शर्तें आदि लाभार्थी द्वारा ध्यान रखा जाएगा।
7	**निर्यात परीक्षण और इन-हाउस लैब उपकरणों के लिए प्रयोगशाला**		
	लाभार्थी : सूचीबद्ध प्रयोगशालाएं और एपीडा पंजीकृत निर्यातक		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क).	एपीडा ने उन्नयन के लिए सूचीबद्ध प्रयोगशालाएं।	निर्यात प्रमाणन के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना को सुदृढ़ करना।	यह सहायता अधिकतम 100 लाख रुपये की लागत का 50% तक होगी।
ख).	एपीडा ने इन-हाउस लैब उपकरण के लिए निर्यातकों को पंजीकृत किया	इन-हाउस गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए	यह सहायता अधिकतम 50 लाख रुपये की लागत का 50% तक होगी।
8.	**आत्मनिर्भर भारत**		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क)	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार के लिए नवीन विचारों के लिए समर्थन	नए नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए	चयनित इकाई को 100 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
ख)	उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और आयात करने वाले देशों की एसपीएस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष गतिविधियों का नया उप-घटक कार्यान्वयन। इन विशेष गतिविधियों में कीट और बीमारियों को रोकने के लिए फलों के आवरण का उपयोग शामिल हो सकता है।	निर्यातक, एफपीओ, एसएचजी, एफपीसी, सहकारी समितियां, और उत्पादन में लगे व्यक्तिगत किसान (आपूर्ति समझौते के साथ)	यह सहायता कुल लागत के 50 प्रतिशत तक होगी जो प्रति लाभार्थी 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी।

गुणवत्ता विकास के लिए दिशा-निर्देश

I. विशिष्ट आवश्यकताएं और शर्तें:

आवेदक द्वारा गुणवत्ता विकास के अंतर्गत उप-घटकों के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

I. गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का प्रमाणीकरण:

क. खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली जैसे एचएसीसीपी, आईएसओ-22000/एफएसएससी 22000, बीआरसी, आईएसओ-14001, इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला उपस्करों में जीएपी के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (प्रमाणन नवीकरण सहित) के कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए सहायता केवल निर्माता निर्यातकों के लिए स्वीकार्य होगी। ISO-9001 निर्माता और व्यापारी निर्यातकों दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

ख. प्रत्येक प्रणाली के लिए सहायता व्यक्तिगत रूप से लागू होती है अत: प्रत्येक उपरोक्त प्रणाली के लिए अलग से आवेदन को जमा किया जाएगा।

II. एपीडा द्वारा भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यान्वित किया जाएगा।

क. एपीडा से संबंधित गतिविधियों के लिए ही सहायता उपलब्ध की जाएगी।

ख. संलग्नक 8 में व्याख्या किए गए संस्थानों द्वारा प्रस्तुत कृषि उद्योग, गुणवत्ता, विपणन और प्रबंधन के प्रासंगिक अल्पकालिक कार्यकारी पाठ्यक्रम (1 माह तक) के लिए सहायता उपलब्ध की जाएगी। भागीदारी शुल्क / पाठ्यक्रम शुल्क की लागत पर विचार किया जाएगा।

III. एपीडा अनुसूचित कृषि उत्पादों में पानी, मिट्टी, एग्रोकेमिकल्स/ कीटनाशक के अवशिष्टों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन्स, विषाक्त, भारी धातु संदूषकों, सूक्ष्मजीवों की गिनती आदि का परीक्षण।

क. इस घटक के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आई.पी.ए) की आवश्यकता नहीं है।

ख. पंजीकृत निर्यातकों को उन उत्पादों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क प्रदान किया जाएगा जिनके लिए आयात करने वाले देश के मानदंडों या एपीडा द्वारा लागू खाद्य सुरक्षा आधारित निगरानी प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार परीक्षण अनिवार्य है और जिसके लिए भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

ग. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाएं:

i. अनुबंध 3 के अनुसार लिंकेज शीट। यदि लिंकेज शीट ऑफलाइन जमा की जाती है, तो उसे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा यूडीआईएन संख्या (UDIN No) के साथ विधिवत प्रमाणित किया जाए।

ii. संलग्नक 5 में दिए गए प्रोफार्मा में सीए प्रमाणपत्र

iii. परीक्षण रिपोर्ट की प्रति

iv. कंसाइन्मेंट से संबंधित वाणिज्यिक चालान और अन्य सहायक निर्यात दस्तावेज़ जिसके लिए परीक्षण शुल्क का दावा किया जा रहा है

v. प्रयोगशाला को किए गए भुगतान को दर्शाने वाला बैंक विवरण

vi. एपीडा द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज़

IV. **निर्यात परीक्षण हेतु प्रयोगशाला और इन-हाउस प्रयोगशाला उपकरण:**

i. खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए प्रयोगशाला को आईएसओ 17025 मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

ii. घरेलू प्रयोगशाला के लिए केवल उपकरण उपलब्ध किए जाएं।

iii. प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों, उपभोग्य सामग्रियों, कांच के बने पदार्थ, कंप्यूटर, सामान्य रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या प्रयोगशाला फर्नीचर और सिविल कार्यों के लिए सहायता लागू नहीं होगी।

iv. संलग्नक 1 में दिए गए परीक्षण उपकरणों की सांकेतिक सूची

v. एपीडा द्वारा सहायता प्राप्त प्रयोगशालाएं द्वारा एपीडा पंजीकृत निर्यातकों को परीक्षण शुल्क पर कम से कम 10% छूट प्रदान की जाएगी।

V. **निर्यातोन्मुख/संभावित उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्मों के लिए नए पौधे/बीज/जर्मप्लाज्म किस्मों का परिचय।**

i. इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक विस्तृत बिजनेस प्लान प्रस्तुत करना होगा।

ii. ग्राफ्टिंग आदि के बाद लाए गए खेत और उसके बाद के क्षेत्र को एपीडा के हॉर्टिनेट/ग्रेपनेट/ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए और उत्पादन और निर्यात मात्रा का विवरण सीजन के अंत में एपीडा को सूचित किया जाए।

iii. 8(ख) में उल्लिखित फलों के कवर में फलों की देखभाल जैसे बैगिंग आदि शामिल होंगे।

III. बाज़ार विकास:

9	**डाटाबेस, मार्केट इंटेलिजेंस का विकास और प्रसार**		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**

क)	डाटाबेस, मार्केट इंटेलिजेंस का विकास और प्रसार।	बाजार और उत्पादों के बारे में सूचित निर्णय लेने और विभिन्न हितधारकों को ऐसी जानकारी के प्रसार के लिए एक मजबूत डेटाबेस का निर्माण करना। एपीडा उत्पादकों/प्रोसेसरों और निर्यातकों/निर्यात बाजारों के बीच सीधे संबंध बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म/ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के विकास में मदद करेगा।	एपीडा द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
10	**मेलों/कार्यक्रमों/क्रेता-विक्रेता की बैठक/विपरीत क्रेता-विक्रेता की बैठकों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, जीआई उत्पादों के प्रचार आदि में भाग लेना।** **लाभार्थी - एपीडा के पंजीकृत निर्यातक**		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क)	मेलों/कार्यक्रमों/क्रेता-विक्रेता बैठकों/विपरीत क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, जीआई उत्पादों के प्रचार और प्रदर्शन आदि में भागीदारी करना। इसका उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और जैविक प्रचार के अंतर्गत पहचाने गए उत्पादों को कवर करना भी है। व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लेने के संबंध में, नए प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, मौजूदा निर्यातकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।	प्रोत्साहन और प्रचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना और प्रचार करना।	एपीडा द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
11.	**उत्पाद विकास, अनुसंधान एवं विकास, ट्रेसबिलिटी बढ़ाने आदि के लिए सहायता।**		
	लाभार्थी – एपीडा के पंजीकृत निर्यातक		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**

क)	पैकेजिंग के मानकों का विकास, परिवहन प्रोटोकॉल का विकास (सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग और समुद्री परिवहन) भौगोलिक संकेत (जीआई) वाले उत्पादों का विकास, पशुओ की टैगिंग, अनुसंधान एवं विकास आदि।	अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पैकेजिंग और परिवहन प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया जाना है।	एपीडा द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
12.	**भारत के बाहर ब्रांड/आईपीआर के परीक्षण शिपमेंट और पंजीकरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/सहायता के माध्यम से नए बाजार/उत्पाद विकास के लिए सहायता ।**		
	लाभार्थी : एपीडा पंजीकृत निर्यातक, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियां, व्यापार मंडल, विदेशों में भारतीय मिशन आदि ।		
	उप-घटक	**कार्य-क्षेत्र**	**सहायता का पैटर्न**
क)	व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से नया बाजार/उत्पाद विकास	संभावित उत्पाद/बाजार की पहचान।	सहायता प्रति लाभार्थी 10 लाख रुपये प्रति अध्ययन की अधिकतम सीमा तक कुल लागत का 50 प्रतिशत तक होगी। विदेशों में व्यापार संघों/भारतीय मिशनों द्वारा विदेश में आयोजित किए जाने पर प्रति लाभार्थी अध्ययन 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन कुल लागत का 75% तक सहायता होगी/यदि उत्तर-पूर्वी राज्यों से संबंधित केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियां/निर्यातक, दुर्गम क्षेत्र जैसे हिमालयी और भूमि बंद राज्य, द्वीप केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एपीडा द्वारा शुरू की गई गतिविधियों के लिए महिला लाभार्थियों को 100% धन दिया जाएगा
ख)	बहु-मॉडल परिवहन को कवर करने वाले परीक्षण शिपमेंट के लिए सहायता।	नए बाजारों का पता लगाने और नए उत्पादों/पैकेजिंग का परीक्षण करने के लिए ।	10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन कुल लागत का 50% तक सहायता होगी

ग)	भारत के बाहर ब्रांड/आईपीआर का पंजीकरण	अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की ब्रांड छवि को प्रोत्साहित करना।	सहायता कुल लागत का 50% तक होगी बँ० लाभार्थी 20 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन एपीडा के संबंध में 100% है

बाज़ार विकास के लिए दिशा-निर्देश

II. विशिष्ट आवश्यकताएं और शर्तें:

आवेदक द्वारा बाज़ार विकास के अंतर्गत उप-घटकों के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

I. व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करने के माध्यम से नए बाज़ार / उत्पाद का विकास

क. अध्ययन का शीर्षक, कार्यक्षेत्र, लागत, उद्धरण की मान्यता, भुगतान शर्तों इत्यादि को संकेत देते हुए प्रतिष्ठित परामर्शदाता से लेटरहेड पर उद्धरण / प्रोफोर्मा इनवायस। सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत प्वाइंट नंबर .iii के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को जमा करने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है।

ख. प्रस्तावित अध्ययन की अतीत में किए गए समान अध्ययनों की पुनरावृत्ति नहीं हो।

ग. प्रस्तावित अध्ययन आयोजित करने के लिए उचित औचित्य प्रदान किया जाए।

II. ताज़ा बागवानी उत्पाद के लिए ट्राइअल शिपमेंट हेतु सहायता

क. सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एपीडा को अग्रिम प्रस्ताव भेजा जाए।

ख. एपीडा द्वारा समय-समय पर प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के अनुसार नए उत्पादों / पैकिंग के बाज़ारों और परीक्षण बाज़ारों का अन्वेषण करने हेतु सहायता उपलब्ध की जाएगी।

III. भारत के बाहर ब्रांड / आई.पी.आर का पंजीकरण

क. सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एपीडा को अग्रिम प्रस्ताव भेजा जाए।

ख. जिस पंजीकरण के संबंध में उत्पाद और ब्रांड / आई.पी.आर का विवरण मांगा गया है।

ग. जिस देश में पंजीकरण के लिए औचित्य के साथ पंजीकरण की मांग की गई है।

घ. ब्रांड / आई.पी.आर के पंजीकरण के लिए संबंधित उत्तरदायी विदेशी एजेंसी से लागत अनुमान / शुल्क।

ङ. स्पष्ट रूप से संकेत किया जाए यदि पंजीकरण ट्रेड मार्क / आई.पी.आर / जी.आई के लिए है।

सामान्य आवश्यकताएं और शर्तें: (सभी घटकों के लिए)

I. सामान्य शर्तें

1. सभी एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए सहायता लागू होगी।
2. एपीडा में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि के रूप में माना जाएगा। एपीडा में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले किए गए व्यय पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद लेकिन आईपीए जारी होने से पहले किया गया कोई भी खर्च स्वचालित रूप से सहायता के लिए पात्र नहीं होगा और इस संबंध में एपीडा के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
3. पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों जैसे हिमालयी और भूमि बंद राज्यों, द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों से संबंधित निर्यातकों के मामले में, सभी गतिविधियों के लिए 75% तक की सहायता दी जाएगी। तथापि, सभी मामलों में समग्र वित्तीय उच्चतम सीमा वही रहेगी।
4. निम्नलिखित निर्यातकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा:
   क. मालिकाना स्थिति में, मालिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होगा
   ख. साझेदारी फर्म की स्थिति में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भागीदारों के पास इकाई में कम से कम 51% शेयर होने चाहिए।*
   ग. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के मामले में, कम से कम 51% शेयर एससी/एसटी निदेशकों/प्रवर्तकों के पास होंगे।*

   * भागीदार/निदेशक/क/प्रमोटर के पास स वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के पिछले एक वर्ष के लिए इकाई में कम से कम 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए और वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति के कम से कम दो वर्षों की बाद की अवधि के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भागीदार/प्रवर्तक/निदेशक की होल्डिंग कम से कम 51% रहेगी। इस संबंध में आवेदक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निम्नलिखित निर्तायकों को महिला उद्यमी की श्रेणी में रखा जाएगा:
   क) उनका व्यवसाय लगभग एक वर्ष के लिए अस्तित्व में होना चाहिए
   ख) मालिकाना व्यवसाय की स्थिति में मालिक महिला होगी
   ग) साझेदारी फर्म/एफपीओ/एफपीसी/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की स्थिति में सभी भागीदार/निदेशक/प्रवर्तक महिलाएं होंगी।
6. जैविक उत्पादों की स्थिति में, इकाई के पास एन.पी.ओ.पी के अंतर्गत प्रसंस्करण का स्कोप होना चाहिए।

7. एपीडा वाणिज्य विभाग (डीओसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि पर प्रसंस्करण शुल्क लेगा जो वर्तमान में 5% + लागू जीएसटी है। आवेदक को धनराशि जारी करते समय प्रसंस्करण शुल्क की कटौती की जाएगी।
8. एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के तहत सहायता पंजीकृत निर्यातकों या अन्य संगठनों जैसे केंद्रीय/राज्य एजेंसियों, एफपीओ आदि को एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए उपलब्ध है।
9. आवेदन के साथ निम्नलिखित विधिवत स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न हों। इसे ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भौतिक रूप से जमा किया जाए अन्यथा, आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
10. नए उपकरणों की खरीद के लिए, कोटेशन/प्रोफार्मा चालान/बिल कम से कम तीन मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या उनके अधिकृत वितरक/उपकरण के डीलर से प्राप्त किए जाए। कोटेशन कम से कम 3 आपूर्तिकर्ताओं से मांग किए जाएंगे। आवेदक तीन बोलीदाताओं में से किसी पर भी कार्य आदेश देने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि, एपीडा की सहायता की गणना न्यूनतम उद्धृत दर पर की जाएगी।
11. व्यवहार्यता अध्ययन की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित परामर्श फर्मों से कोटेशन मांगा जाएगा।
12. कोटेशन में स्पष्ट रूप से पता, जीएसटीएन, टिन और पैन, विस्तृत विनिर्देश के साथ उत्पाद विवरण, मान्यता तिथि और आइटम वार लागत/इकाई और कुल राशि स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। तकनीकी विवरणिका/साहित्य/पैम्फलेट में उपयोगिता के स्पष्ट उल्लेख के साथ अवसंरचना/प्रयोगशाला उपकरण/किसी भी अन्य संपत्ति आदि की स्थिति में उपकरण के विवरण को दर्शाया गया है।
13. जहां कहीं भी सिविल कार्य शामिल है, वहां एपीडा द्वारा सहायता केवल परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी सिविल कार्य तक ही सीमित होगी। बिल ऑफ क्वांटिटी, रेट/यूनिट और चार्टर्ड इंजीनियर या सिविल आर्किटेक्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित कुल राशि को दर्शाने वाला लागत अनुमान सिविल कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
14. अनुदान केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद बनाए गए संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य तक ही सीमित होगा। परियोजना के तकनीकी सिविल कार्य घटक के लिए वित्तीय सहायता उस आवेदन की कुल पात्र वित्तीय सहायता के अधिकतम 25% तक सीमित होगी। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद लेकिन आईपीए जारी होने से पहले किया गया कोई भी खर्च स्वचालित रूप से सहायता के लिए पात्र नहीं होगा और इस संबंध में एपीडा के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
15. संलग्नक 8 में दर्शाए गए संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यक्रम / कैलेंडर या विवरणिका आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
16. निर्यात शून्य होने पर भी निर्यातक द्वारा सहायता प्राप्त इकाई से एपीडा वेबसाइट पर ऑनलाइन तिमाही निर्यात प्रदर्शन प्रस्तुत की जाएगी।

17. उप-घटक 5 के अंतर्गत उल्लिखित प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क को छोड़कर योजना के सभी घटकों के लिए एपीडा का सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) आवश्यक है।
18. आईपीए जारी होने के बाद, आवेदक के अनुरोध पर आईपीए की मान्यता अवधि के दौरान उसमें संशोधन पर विचार किया जा सकता है।
19. आईपीए के विस्तार के अनुरोध पर योग्यता के आधार पर एपीडा मामले में विचार किया जा सकता है।
20. एपीडा के पास बाहरी एजेंसी से परियोजनाओं का मूल्यांकन कराने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परियोजना व्यवहार्य नहीं पाई जाती है, तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सैद्धांतिक स्वीकृति का अनुदान केवल पात्र मदों और गतिविधियों पर आधारित होगा और अपात्र वस्तुओं या गतिविधि पर किसी भी व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. एपीडा के पास उन एजेंसियों द्वारा निर्धारित शुल्कों में हस्तक्षेप करने का अधिकार सुरक्षित है जो निर्यातकों को प्रदान की गई सेवाओं के अनुरूप नहीं हैं।
22. दावे की स्वीकार्यता के संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा और केवल आवेदन दाखिल करने से वित्तीय सहायता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
23. कंपनी के स्वामित्व/प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन निर्यातक की जिम्मेदारी होगी कि वह उस विवरण को एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) में शामिल करवाए।
24. एपीडा द्वारा जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र और बाद में भौतिक सत्यापन के नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदक द्वारा दावा पूरा करने और जमा करने पर एपीडा से पात्र सहायता की प्रतिपूर्ति वापस समाप्त हो जाएगी।
25. सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र की मूल या विस्तारित वैधता, यदि कोई हो, की समाप्ति से पहले सभी तरह से पूर्ण अंतिम दावा दस्तावेज़ दाखिल करना आवेदक की जिम्मेदारी है।
26. यदि आवेदक/लाभार्थी के पास विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं, तो एपीडा ऐसी प्रत्येक अलग इकाई के लिए सहायता पर विचार कर सकता है। हालांकि, ऐसी इकाइयों को पहले आईईसी और एपीडा आरसीएमसी में शामिल किया जाए।
27. एपीडा को वाणिज्य विभाग द्वारा बजटीय आवंटन दिया जाता है। वास्तविक आवंटन साल-दर-साल भिन्न हो सकता है। सहायता का संवितरण सरकार द्वारा वास्तविक बजट आवंटन के अधीन है। एपीडा में निधियों की उपलब्धता और सरकार द्वारा अनुदान के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
28. योजना के जारी रहने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना अवधि (2021-26) से आगे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन को आगे ले जाने में आवेदक द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा।
29. आवेदक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और/या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकरण/लाइसेंस की आवश्यकता का अनुपालन करना होगा।
30. एकीकृत पैक-हाउस, रीफर वैन, केबल कार, सुविधा के उन्नयन के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी को वित्तीय सहायता के वितरण के पांच (5) वर्ष से पहले अपनी इकाई नहीं बेचनी चाहिए।

31. निर्यातक द्वारा यह घोषणा प्रस्तुत की जाए कि उसके द्वारा किसी भी राज्य/केंद्र एजेंसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली गई है। यदि आवेदन अन्य राज्य/केंद्र एजेंसी को भी प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए विवरण ऑनलाइन आवेदन में जमा किया जाना चाहिए।
32. तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले एपीडा के पास आवेदक की इकाई और/या स्थल का पूर्व-निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है।
33. अपूर्ण, असंतोषजनक पूर्व-निरीक्षण रिपोर्ट पाए जाने पर आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, न कि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार।
34. एपीडा वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) से उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि इस संबंध में योजना के तहत उत्पन्न कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद अनसुलझा रहता है, तो उसे अध्यक्ष, एपीडा के पास भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन भरने की प्रक्रिया

i. कंपनी प्रोफाइल, परियोजना की प्रकृति, मौजूदा बुनियादी ढांचे, प्रस्तावित बुनियादी ढांचे, क्षमता वृद्धि / गुणवत्ता उन्नयन के संदर्भ में प्रस्तावित सुविधा से लाभ, मौजूदा और प्रस्तावित प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, इच्छित बाजार व्यवहार्यता आदि से युक्त एक विस्तृत प्रस्ताव। परियोजना की लागत को कोटेशन (उपकरण के लिए), मात्रा के बिल (सिविल कार्य के लिए) आदि द्वारा विधिवत समर्थित होना चाहिए।
ii. आवेदक के लिए एपीडा वेबसाइट www.apeda.gov.in पर दिए गए योजना मेनू में एफएएस आवेदन जमा करके वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना अनिवार्य है।
iii. ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ट्रैक नं. प्रणाली के माध्यम से जेनरेट होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट और उपरोक्त प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पावती पत्रक आवेदन ट्रैक नंबर की एक प्रति जमा करनी होगी। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऑनलाइन आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

स्वीकृति हेतु प्रक्रिया

i. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन पहले एक निरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा:
   क. भौगोलिक दृष्टि से और उत्पाद लाइनों के संदर्भ में एपीडा द्वारा वितरित सहायता का समान वितरण,;
   ख. भौगोलिक दृष्टि से वंचित राज्यों (भूमि-बंद, पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों) और छोटे/पहली बार निर्यातकों को सहायता के वितरण में वरीयता मिलती है; तथा

ग. एपीडा से सहायता प्राप्त करने वाला लाभार्थी उसी परियोजना/प्रस्ताव के लिए भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सहायता का दावा नहीं करता है।

ii. निगरानी समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

I. संयुक्त सचिव (ईपी - कृषि), वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष

II. अध्यक्ष, एपीडा

III. निदेशक / उप सचिव (ईपी – कृषि), वाणिज्य विभाग

IV. निदेशक, एपीडा

V. सचिव, एपीडा

VI. विभागाध्यक्ष, अवसंरचना, एपीडा

VII. विभागाध्यक्ष, ताजा/प्रसंस्कृत फल और सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य, एपीडा

VIII. विभागाध्यक्ष, वित्त, एपीडा – संयोजक

iii. निगरानी समिति की हर महीने कम से कम एक बार बैठक होगी। 50% सदस्यों की उपस्थिति से बैठकों का कोरम बनता है।

iv. प्रस्तावों का वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन एपीडा द्वारा सीधे या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा गठित तकनीकी समिति के माध्यम से किया जाएगा।

v. सभी प्रकार से पूर्ण और निरीक्षण समितियों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए एपीडा द्वारा संसाधित किया जाएगा।

vi. एपीडा या एपीडा द्वारा अधिकृत एजेंसी, यदि आवश्यक हो, बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर सकती है।

vii. अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के लिए सभी पात्र आवेदनों का मूल्यांकन एपीडा द्वारा गठित एक तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा।

viii. तत्पश्चात् आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) युक्त पत्र जारी किया जाएगा।

अंतिम दावा दस्तावेज़ प्रस्तुति

1. सैद्धांतिक अनुमोदन की मूल या विस्तारित वैधता, यदि कोई हो, की समाप्ति से पहले सभी तरह से पूर्ण दावा दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए लाभार्थी की जिम्मेदारी है। कुछ उप घटकों में वित्तीय सहायता के लिए जहां आईपीए की आवश्यकता नहीं है, अंतिम दावा दस्तावेज़ गतिविधि के पूरा होने के तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि, जहां निर्यात दस्तावेज़ आवेदन के साथ जमा करने की आवश्यकता होती है, उन्हें छ: महीने के भीतर जमा किया जाए।
2. आवेदक को एपीडा से वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए लागू निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे: -

i. निर्धारित प्रारूप में सीए प्रमाणपत्र (अनुलग्नक 5) संलग्न किया जाए। सीए फर्म को पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाए। प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सीए के नाम, पदनाम और सदस्यता संख्या के अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया।

ii. वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं/विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को जारी भुगतान की डेबिट प्रविष्टियों को दर्शाने वाला बैंक विवरण संलग्न किया जाए और ऐसी प्रविष्टियों को हाइलाइट किया जाए।

iii. नकद भुगतान के लिए निर्यातकों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऐसे भुगतान के लिए भारत सरकार के प्रावधानों का पालन किया जाए। विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / एजेंसियों से उचित रसीदें जमा की जाए। आयकर नियमों के अनुसार नकद भुगतान की सीमा का पालन किया जाए। (रु. 10,000/-, वर्तमान में)।

iv. पूंजीगत संपत्ति/उपकरण आदि के लिए संलग्नक 6 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड संलग्न करें।

v. सिविल निर्माण आदि सहित पूंजी / चल संपत्ति के लिए, एपीडा की सहायता की पावती दिखाई जाए (एपीडा लोगो वास्तविक रंग और डिजाइन में "एपीडा द्वारा सहायता" शब्दों के साथ चित्रित किया जाएगा)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्टिकर की अनुमति नहीं है।

vi. पूंजीगत संपत्ति के लिए चार्टर्ड इंजीनियर से स्थापना प्रमाणपत्र।

vii. आयातित उपकरणों के लिए आवेदक द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध किए जाएं।

viii. जैविक उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता एनपीओपी के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी प्रसंस्करण सुविधा के लिए मान्य स्कोप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

ix. प्रयोगशाला उपकरण सहायता के लिए टेकनीशियन का बायोडाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

x. दावा दस्तावेजों के साथ प्रयोगशाला परीक्षण सॉफ्टवेयर आदि पर बैंक विवरण के अनुसार भुगतान की प्रविष्टि दिखाते हुए प्रयोगशाला का स्क्रीन शॉट संलग्न प्रस्तुत किया जाए।

xi. अंतिम दावा दस्तावेजों के साथ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए लेखापरीक्षा निगरानी प्रारूप (संलग्नक- 4) प्रस्तुत किया जाए।

xii. संगोष्ठियों/समूह गतिविधियों के लिए, विशिष्ट गतिविधि से संबंधित एक विवरण संलग्न किया जाए जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट/ सरकारी एजेंसी की स्थिति में उपयोगिया प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो।

xiii. संगोष्ठियों/समूह गतिविधियों के लिए, तस्वीरों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

xiv. जहां कहीं लागू हो, व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

xv. वित्तीय सहायता का दावा करने के लिए प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षण लागत के लिए भुगतान किए गए शुल्क के साथ संबंधित संस्थान से एक प्रमाण पत्र एपीडा में जमा किया जाएगा।

xvi. उप-घटक 5 के अंतर्गत दावे के लिए, आवेदक को यह कहते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि निर्यात के लिए सैम्पलिंग और विश्लेषण किया गया था। इसके लिए दावे के साथ CA प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

वित्तीय सहायता का संवितरण

i. जमा किए गए दस्तावेजों की एपीडा में जांच की जाएगी।

ii. किसी भी विसंगति के मामले में आवेदक से स्पष्टीकरण/आवश्यक दस्तावेज़ मांगे जाएंगे।

iii. सभी प्रकार से पूर्ण अंतिम दावा दस्तावेजों को अनुमोदन के लिए संसाधित किया जाएगा।

iv. आधार संख्या सभी स्थितियों में लाभार्थी द्वारा प्रदान की जाएगी अर्थात व्यक्ति, भागीदार, निदेशक जैसा भी मामला हो, जो अनिवार्य है।

v. आवेदन में प्रस्तुत विवरण के अनुसार सहायता राशि लाभार्थी को सीधे उनके खाते में जारी की जाएगी।

संलग्नक – 1

घटक 1(च) के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना के लिए विशेष रूप से आवश्यक दस्तावेज़

परिशिष्ट-I

डीपीआर का टैम्पलेट

1. आवेदक/कंपनी/फर्म का नाम, कंपनी/फर्म की पंजीकरण संख्या के विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में निदेशकों/प्रवर्तकों के नाम:

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
i.	आवेदक का नाम	
ii.	संगठन का प्रकार (सरकारी संस्था/संगठन, गैर सरकारी संगठन, सहकारी)	
iii.	परियोजना की लोकेशन (उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी क्षेत्र, द्वीप और आईटीडीपी क्षेत्र	

2. टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ई-मेल, वेबसाइट, पैन और पते आदि सहित संगठन के प्रमुख और परियोजना संचालन एजेंसी के संपर्क विवरण।

क्र.सं	प्रवर्तक/भागीदार का नाम	पता	फोन नं.	मोबाइल नं.	ई-मेल आई.डी	पैन नं.	अन्य विवरण
1.	संगठन का प्रमुख						
2.	संगठन के प्रमुख द्वारा परियोजना हैंडल करने वाली प्रतिनियुक्त एजेंसी						
यदि आवश्यक हो तो कृपया अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ें।							

3. सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संगठन का पिछला अनुभव (कृषि/ खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन) (कृपया अनुभव और टर्नओवर के संबंध में दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करें)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	फंडिंग पैटर्न	स्थिति	टिप्पणी, यदि कोई हो

4. परियोजना विवरण:

क. परियोजना का मुख्य उद्देश्य और गतिविधि

ख. परियोजना का क्षेत्र (कृषि, पुष्पकृषि, बागवानी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, डेयरी, मांस, कुक्कुट, रेडी-टू-ईट/कुक/मिक्स्ड आदि):

5. भूमि का विवरण

i. सभी परियोजना सुविधाओं के लिए भूमि के प्रस्तावित स्थान और देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के साथ उनके अधिग्रहण की स्थिति

भूमि का स्थान	सुविधा (वितरण हब /कृषि स्तरीय अवसंरचना)	क्षेत्र (वर्गमीटर)	अधिकार स्थिति (स्वामित्व/पट्टे पर**)(दस्तावेज़ जमा किए गए है हाँ/नहीं)	पट्टे के मामले में (पट्टे की अवधि वर्षों में**) (दस्तावेज़ जमा किए गए है हाँ/नहीं)	भूमि उपयोग परिवर्तन की स्थिति (सीएलयू) (दस्तावेज़ प्रस्तुत हाँ नही)	कनेक्टिविटी विवरण। दूरी (किमी में): क. राष्ट्रीय राजमार्ग से ख. स्टेट हाईवे से ग. फ्रेट कॉरिडोर से घ. स्वर्णिम चतुर्भुज से	ग्रहण क्षेत्र से दूरी (किमी)	निर्देशांक विवरण (देशांतर और अक्षांश)	संदर्भ डीपीआर में पृ.सं.
भूमि 1									
भूमि 2									

*डीपीआर में निर्यात व्यापार योजना के साथ-साथ प्रस्तावित भूमि, कच्चे माल के उत्पादन और ग्रहण क्षेत्र और निर्यात के लिए गंतव्य के लिए विस्तृत अध्याय होना चाहिए।

**पट्टे की भूमि की स्थिति में, पट्टे की अवधि 15 वर्ष की शेष अवधि से कम नहीं होनी चाहिए।

6. प्रस्तावित सुविधाएं

क्र.सं.	सृजित की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं के प्रकार (मशीनों की सूची)	इकाइयों की संख्या	कुल मात्रा[मीट्रिक टन, लीटर, मीट्रिक टन/घंटा जहां लागू हो]	एक वर्ष में प्रत्येक सुविधा के संचालन के दिनों की संख्या
i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				

7. प्रस्तावित परियोजना वित्तीय

क. अनुमानित परियोजना लागत विवरण

उत्पाद	**राशि (लाख रुपए में)**
साइट विकास	
तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडब्ल्यू)*	
अन्य सिविल कार्य	
संयंत्र और मशीनरी (पी एंड एम)**	
जल/ईटीपी/एसटीपी आदि सामान्य उपयोगिता***	
पूर्व संचालित व्यय	
निर्माण के दौरान ब्याज	
निर्माण के दौरान रुचि	
आकस्मिक व्यय	
अन्य विवरण जोड़ें जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं हैं	
कुल परियोजना लागत	

*तकनीकी और अन्य सिविल कार्य और संयंत्र और मशीनरी का घटक-वार लागत विवरण चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र में परिशिष्ट II के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रदान किया जाना चाहिए।

***सामान्य उपयोगिताओं की लागत चार्टर्ड प्रमाणपत्र में जहां भी लागू हो, प्रदान किया जा सकता है।

ख. वित्त के साधन

विषय	**राशि (लाख रुपए में)**
(क) सहायता अनुदान के रूप में एपीडा का योगदान	
(ख) स्वंय के फंड	
(ग) सावधि ऋण, यदि कोई हो तो	
कुल	

ग. मूल राजस्व अनुमान

विषय	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**	**वर्ष 4**	**वर्ष 5**
टर्नओवर					
संचालन की लागत					
कुल लाभ					
ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (ईबीआईटीडीए)					
कराधान से पहले का लाभ					
कराधान के बाद लाभ					

घ. वित्तीय पैमाने (बैंक मूल्यांकन नोट के अनुसार)

क्र.सं.	पैमाने	विवरण (अनुपात%)
i.	रिटर्न की आंतरिक दर (आईआरआर) [(क) अनुदान के साथ (ख) अनुदान के बिना]	
ii.	औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)	
iii.	ब्रेक इवन पॉइंट (बीईपी)	
iv.	ऋण इक्विटी अनुपात	

8. ग्रहण क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता - प्रसंस्करण और निर्यात के लिए सहायक डेटा के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा, कच्चे माल का व्यापक मिश्रण, एक वर्ष में संचालन के दिन जैसे विवरण प्रदान करें।

9. परियोजना के ग्रहण क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	**ग्रहण का स्थान (प्राथमिक/माध्यमिक)**	**गांव/जिला/एपीएमसी का नाम**	**सोर्स की जाने वाली कमोडिटीज़**	**सोर्स की जाने वाली मात्रा (प्रतिवर्ष)**

*डीपीआर में प्रस्तावित ग्रहण क्षेत्र पर विस्तृत अध्याय शामिल होना चाहिए (उत्पादन और आपूर्ति के आंकड़े)।

10. रोजगार सृजन अनुमान
    क. प्रत्यक्ष रोजगार:……
    ख. दिनों की संख्या के साथ संविदात्मक रोजगार:……..
    ग. अप्रत्यक्ष रोजगार (निर्दिष्ट करें):…….
11. सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय /वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विवरण, यदि कोई हो, परियोजना के संचालन के लिए प्रस्तावित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बिजली उत्पादन का विवरण शामिल है।

12. कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने का विवरण:-

क्र.सं.	तकनीक/विषय का नाम	मूल लागत (कर आदि को छोड़कर)	प्रौद्योगिकी कार्बन फुट प्रिंट को कम करने और/या परिचालन दक्षता में वृद्धि करने में कैसे मदद करेगी

13. ओ एंड एम एजेंसी और इसकी गतिविधि प्रोफ़ाइल का विवरण

ओ एंड एम एजेंसी	समझौते की तिथि	प्रति संलग्न (हां/नहीं)

14. निर्यात के लिए उपयोगकर्ता सुविधा के लिए निर्यातकों के साथ समझौते का विवरण

निर्यातक का नाम	समझौते की तिथि	प्रति संलग्न (हां/नहीं)

15. अगले पांच वर्षों के लिए निर्यात अनुमान

वर्ष	उत्पाद का विवरण	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)	निर्यात गंतव्य

16. संयंत्र और मशीनरी के निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं की सूची (उद्धरण संलग्न करें)

(क)

(ख)

(ग)

संगठन द्वारा अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

तिथि: ..... स्थान: .....

नोट- यदि आवेदन पर संगठन के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो आवेदन के साथ प्राधिकरण पत्र जमा किया जा सकता है।

परिशिष्ट – II

तकनीकी सिविल कार्य और संयंत्र और मशीनरी के लिए सीई प्रमाणपत्र (सिविल) प्रारूप:

(सीई का लेटरहेड)

निम्नलिखित प्रारूप में सीई प्रमाणपत्र (सीई सदस्यता/पंजीकरण संख्या के साथ)

दिनांक

परियोजना का नाम

पते के साथ लोकेशन:

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा क्षेत्र निरिक्षण की तिथि:

परियोजना की प्रगति: (यदि परियोजना में कई स्थान हैं, तो प्रत्येक स्थान के लिए स्थानवार विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

(क) **सिविल कार्य**

क्र.सं.	**घटक का नाम**	**प्रस्तावित क्षेत्र (वर्ग मीटर)**	**प्रस्तावित लागत (राशि लाख रुपए में)**	**दर/इकाइ(रुपए/वर्गमीटर)**
	कुल			

(ख) **संयंत्र और मशीनरी**

क्र.सं.	**घटक का नाम**	**प्रस्तावित मात्रा**	**प्रस्तावित लागत (राशि लाख रुपए में)**		**आपूर्तिकर्ता/निर्माता (उद्धरण द्वारा समर्थित)**
			मूल लागत	**कर, माल ढुलाई, स्थापना, बीमा**	
	घटक-1				
	घटक-2				
	कुल				

सी.ई. के हस्ताक्षर और मुहर

मुहर के साथ कंपनी के प्रमोटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का प्रतिहस्ताक्षर

<u>परिशिष्ट - **III**</u>

समझौता ज्ञापन का मसौदा (एमओयू)

यह समझौता ज्ञापन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत गठित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) (1986 की संख्या 2), जिसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की उत्तरदायित्व दिया गया है, जिसका मुख्यालय तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी सांस्थानिक केंद्र, खेल गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 (तत्पश्चात् एपीडा के रूप में जाना जाता है)

और

…………………………………… (इसके बाद "एजेंसी" के रूप में संदर्भित) जिसका कार्यालय **………………………………………**

के बीच किया गया है।

और जबकि, यह "एजेंसी"................................... राज्य के लिए कृषि संवर्धन के साथ अधिदेश है और इसे .... के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।

और जबकि एपीडा ने रु**……………………...** (रुपये **……………………………)** का सहायता अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद 'परियोजना' के लिए "एजेंसी" को "अनुदान राशि" कहा जाएगा।

अब, इसलिए, समझौता ज्ञापन के दोनों पक्ष इस परियोजना को स्थापित करने और मजबूत करने और निम्नलिखित का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं।

1. एपीडा द्वारा एजेंसी को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में अनुदान जारी किया जाएगा:

   क. योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान के 40% की पहली किस्त समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद जारी की जाएगी, अर्थात 40% परियोजना की पूरी अवधि के साथ ही 12 महीने के लिए मान्य है।

   ख. योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान की 40% की द्वितीय किश्त राशि सुनिश्चित करने के उपरांत जारी की जाएगी।

      i. जारी अनुदान की पहली किस्त का उपयोग (परिशिष्ट **IV**),

ii. सभी बिलों और बैंक स्टेटमेंट के साथ सीए प्रमाणपत्र (परिशिष्ट **V)**

iii. भुगतान की अगली किश्त जारी करने की अनुशंसा करते हुए स्थल निरीक्षण/भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट। (एपीडा द्वारा किया जाना है)

iv. एपीडा द्वारा वांछित कोई अन्य दस्तावेज़।

ग. योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान के 20% की अंतिम किस्त परियोजना के चालू होने पर अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ ओ एंड एम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ जारी की जाएगी।

i. जारी अनुदान की दूसरी किस्त का उपयोग (परिशिष्ट **IV),**

ii. सभी बिलों और बैंक स्टेटमेंट के साथ सीए प्रमाणपत्र (परिशिष्ट **V)**

iii. भुगतान की अगली किश्त जारी करने की अनुशंसा करते हुए स्थल निरीक्षण/भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट। (एपीडा द्वारा किया जाना है)

iv. एपीडा द्वारा वांछित कोई अन्य दस्तावेज़।

2. जारी किया गया अनुदान विशेष रूप से प्रस्तावित परियोजना के लिए खोले गए एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा।
3. अंतिम किस्त जारी होने के पश्चात् परियोजना के सफलतापूर्वक निष्पादित होने पर एपीडा का कार्य पूरा हो जाएगा और यह एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह परियोजना के सफलतापूर्वक संचालन को सुनिश्चित करे।
4. एपीडा द्वारा वितरित राशि (वर्तमान में 5% + जीएसटी लागू होने पर) पर डीओसी द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण शुल्क की जाएगी। आवेदक को धनराशि जारी करते समय प्रसंस्करण शुल्क की कटौती की जाएगी। एपीडा द्वारा काटा गया प्रसंस्करणशुल्क परियोजना लागत का हिस्सा होगा। यदि किसी भी स्तर पर, कोई परियोजना किसी तकनीकी या वित्तीय कारण से शुरू नहीं हो पाती है तो एपीडा द्वारा प्रसंस्करण शुल्क, 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और स्वीकृत अनुदान के 5% तक के जुर्माने सहित पूरी सहायता राशि की वापसी की जाएगी।
5. परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी और 'परियोजना' से प्राप्त होने वाली सभी वैधानिक देनदारियां (कानूनी या वित्तीय) एजेंसी के पास हैं। एजेंसी को निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा:

क. निधि या सुविधा का उपयोग उस उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।

ख. एजेंसी द्वारा केवल योजना के अंतर्गत कल्पना, निर्दिष्ट और सुबोध उद्देश्य के लिए संपत्ति का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

ग. एजेंसी के दिए गए पते पर एजेंसी हर समय उत्तम कार्य करने की स्थिति में संपत्ति को बनाए रखेगी।

घ. एजेंसी द्वारा एपीडा को खाते और प्रदर्शन का विवरण या समय-समय पर एपीडा द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

ङ. एजेंसी द्वारा'परियोजना' में एक प्रमुख स्थान पर "एपीडा द्वारा सहायता प्राप्त" शब्दों के साथ एपीडा लोगो को चित्रित करके एपीडा की सहायता को स्वीकार की जाएगी।

च. एजेंसी किसी भी नियम या शर्त का पालन करेगी जो योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एपीडा द्वारा समय-समय पर लागू किया जा सकता है और ऐसी शर्त पर, लिखित रूप में नोटिस द्वारा एजेंसी पर लगाया जा रहा है, वह बाध्यकारी होगा एजेंसी।

छ. एजेंसी एपीडा के पूर्वानुमोदन के बिना पूरी संपत्ति या उसके हिस्से के कब्जे के साथ बिक्री या हस्तांतरण या अन्य हिस्से को नहीं बेचेगी या हस्तांतरित नहीं करेगी।

ज. एजेंसी समय-समय पर एपीडा के प्रतिनिधि को संपत्ति और एजेंसी के संचालन के स्थान का निरीक्षण करने की अनुमति देगी; और एजेंसी बिना किसी बाधा के ऐसे निरीक्षण की अनुमति देगी।

झ. सुविधा के उपयोग के लिए शुल्क एपीडा के परामर्श से तय किया जाएगा और सार्वजनिक डोमेन में 'एजेंसी' द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। सेवाओं की लागत, रखरखाव/मरम्मत, श्रमिकों को काम पर रखने की लागत आदि सहित प्रासंगिक कारकों की जांच के बाद ये शुल्क वैज्ञानिक आधार पर तय किए जाएंगे।

ञ. परियोजना की प्रगति और उपयोग की निगरानी के लिए एपीडा द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

ट. परियोजना को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से ….. महीनों की अवधि के भीतर एजेंसी द्वारा चालू किया जाएगा।

ठ. एजेंसी समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर करने की तारीख से …… महीनों की अवधि के भीतर परियोजना को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी देरी की स्थिति में, परियोजना लागत के अधिकतम 5% के अधीन प्रत्येक महीने की देरी के लिए 1% का जुर्माना लगाया जाएगा।

ड. किसी भी मामले पर किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में, दोनों पक्ष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहमत होते हैं। मामले के जारी होने के 3 महीने की अवधि के भीतर मामले का निपटारा नहीं होने की स्थिति में, पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, इस विलेख में किसी भी खंड की व्याख्या, संचालन या प्रभाव या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य अंतर, जो नहीं कर सकते हैं पारस्परिक रूप से हल किया जाना केवल दिल्ली पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों / न्यायाधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने इस ज्ञापन को ऊपर लिखे दिन, महीने और वर्ष को निष्पादित किया है और इसे पुणे में संपन्न किया है।

एपीडा के लिए और उसकी ओर से …….. की ओर से…..

साक्षी 1. .....

2.

परिशिष्ट – IV

जीएफआर 2017 के आधार पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र

क्र.सं.	पत्र सं. और तिथि	राशि

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायता अनुदान के रु..... के पक्ष में इस मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या के ..... अंतर्गत पिछले वर्ष व्यय किए गए ..... को ..... उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है और यह स्वीकृत किया गया था कि वर्ष ..... के अंत में अप्रयुक्त शेष रुपये ..... को सरकार को सौंप दिया गया है (दिनांक संख्या के अनुसार) / अगले वर्ष के दौरान देय सहायता अनुदान के लिए समायोजित किया जाएगा।

2.प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था मैंने उनके लिए स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। इन शर्तों को विधिवत रूप से पूरा किया जा रहा है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जाँचों का प्रयोग किया है कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

जांच किए गए अभ्यासों के प्रकार:

1.

2.

मुहर के साथ कंपनी के प्रमोटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

UDIN के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रतिहस्ताक्षर के साथ पंजीकरण संख्या

परिशिष्ट – V

सीए प्रमाणपत्र प्रारूप
(सीए के लिए लेटरहेड)

दिनांक: .....

निम्नलिखित प्रारूप में सीए प्रमाणपत्र (सीए सदस्यता संख्या और फर्म पंजीकरण संख्या के साथ): -

प्रमाणीकरण ..... (परियोजना का नाम) से संबंधित खातों, बिलों, चालानों, वर्कऑर्डर, बैंक स्टेटमेंट आदि की पुस्तकों के सत्यापन पर आधारित है।

1. परियोजना लागत (राशि लाख रूपए में)

क्र.सं.	घटक/उत्पाद का नाम	एपीडा द्वारा अनुमोदित लागत	..... को वास्तविक व्यय के रूप में		
			मूल	कर आदि	कुल
1.	भूमि/विकास प्रभार				
2.	निर्माण कार्य - तकनीकी सिविल कार्य - अन्य सिविल कार्य				
3.	संयंत्र और मशीनरी				
4.	विविध अचल संपत्ति				
5.	अन्य				
	कुल				

2. वित्त के साधन: (राशि लाख रूपए में)

क्र.सं.	**विषय**	**एपीडा द्वारा अनुमोदित वित्त के साधन**	**..... को वास्तविक व्यय के रूप में**
1	प्रमोटर पूछताछ		
2	टर्म लोन		
3	एपीडा से अनुदान		
4	असुरक्षित ऋण*		
5	अन्य		

* ऋणदाता की पैन संख्या के साथ असुरक्षित ऋणों का विवरण, यदि कोई हो, सीए द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित हो।

*अग्रिम भुगतान का विवरण संलग्नक में अलग से दिया जाए।

सीए और यूडीआईएन के हस्ताक्षर और मुहर

मुहर के साथ कंपनी के प्रमोटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

संयंत्र और मशीनरी के लिए किए गए भुगतानों का विवरण प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र							
क्र.सं.							
पार्टी का नाम							
घटक							
वाउचर/बिल सं.							
वाउचर/बिल की तिथि							
मूल लागत							
कर, माल ढुलाई, इंस्टॉलेशन्स, बीमा लागत							
कुल लागत							
बैंक विवरण के अनुसार भुगतान की तिथि							
भुगतान का तरीका							
बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान की गई राशि							

संलग्नक II

वाणिज्यिक और आंतरिक प्रयोगशालाओं के लिए रासायनिक और सूक्ष्म जीव विज्ञान विषयों के लिए उपकरणों की सांकेतिक सूची

क्र.सं.	**प्रयोगशाला उपकरणों का विवरण**	**सैम्पल तैयार करने और विश्लेषण के लिए लक्ष्य उपयोग**
1.	एलसी-एमएस/एमएस	एंटीबायोटिक, दवाओं, ऑर्गेनिक ऐसिड, विटामिन के अवशेष
2.	जीसी-एमएस/एमएस	कीटनाशकों के अवशिष्ट, वाष्पशील पदार्थ मिश्रण
3.	आईसीपी-एमएस, आईसीपी-ओईसी, आईसीपी-एईएस, एएएस	भारी धातु सामग्री
4.	एचआर-जीसी	डाइऑक्सिन, पीसीपी विश्लेषण
5.	एनएमआर	उत्पाद की उत्तपत्ति का निर्धारण
6.	एचआर-एमएस, सीएचएन ऐनालाइज़र	कार्बन फुट प्रिंटिंग, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अनुमान
7.	यूएचपीएलसी, एचपीएलसी-यूवी, आरआई, पीडीए, एफएलडी, कोबरा सेल आदि	एफ्लाटॉक्सिन सामग्री विश्लेषण
8.	जीसी-एनपीडी, ईसीडी आदि	कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण
9.	डीएनए सिक्वेंसर	डीएनए निर्धारण
10.	आरटी पीसीआर, पीसीआर	जीएमओ विश्लेषण
11.	विस्को मीटर	विस्कोसिटि माप
12.	एफटीआईआर	समीपस्थ रूपरेखा
13.	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	समीपस्थ रूपरेखा
14.	यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	समीपस्थ रूपरेखा
15.	ऐनालिटिकल वैइंग मशीन	सैम्पल, सीआरएम, रसायन, वैइंग
16.	कंडक्टिविटी मीटर	कंडक्टिविटी माप
17.	सेंट्रफ्यूज/ हाई स्पीड सेंट्रफ्यूज/ रेफ्रीजिरेटिड सेंट्रफ्यूजस	सैम्पल एक्सट्रैक्शन और सेंट्रफ्यूज
18.	वेट एंड ड्राइ ग्राइंडर, मिल, डेसिकेटर्स, वॉरटैक्स, होमोजेनाइज़र	सैम्पल निर्मिति और होमोजेनाइज़ेशन
19.	पीएच मीटर	पीएच लेवल माप
20.	एक्सट्रैक्शन, हीटिंग मैन्टल्स	सैम्पल एक्सट्रैक्शन और हीटिंग
21.	डिस्टिलेशन, डाईजेस्शन यूनिट, माक्रोवेव डाइज़ेशन	वॉटर एंड सैम्पल डिस्टिलेशन एंड डाइज़ेशन
22.	पोलारिमीटर	पोलारिटी माप
23.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप/ 3D माइक्रोस्कोप	माइक्रोस्कोपी काउंटिंग एंड इमेजिंग
24.	मेम्बरेन फिल्ट्रेशन ऐपरैटस	सैम्पल फिल्ट्रेशन

25.	टीएलसी, एलीज़ा रीडर एंड स्कैनर	रेपिड स्कैनिंग प्रणाली
26.	यूवी कैबिनेट	सैम्पल एक्सट्रैक्शन
27.	वॉटर बाथ	वॉटर बाथ
28.	मेल्टिंग प्वांट ऐपरैटस	हीटिंग
29.	क्वार्ट्ज़ वॉटर डिस्टिलेशन	वॉटर डिस्टिलेशन
30.	लेमिनार एयर फ्लो	सैम्पल एक्सट्रैक्शन
31.	हॉट एयर ओवन	हीटिंग और मॉइस्चर विश्लेषण
32.	मफल फर्नेस	सैम्प्ल निर्मिति
33.	ऑटो क्लेव (हॉरिज़ोंटल, वर्टिकल)	ऐपरैटस, ग्लासवेयर, मीडिया, डिस्पोज़ेबल का स्टेरलाइज़ेशन
34.	फ्यूम हूड्ज़	सैम्पल एक्सट्रैक्शन
35.	इन्क्यूबेटॉर्स	सैम्पल ऊष्मायन
36.	स्टोमैचर	सैम्पल निर्मिति
37.	मॉइस्चर मीटर/डिजिटल मॉइस्चर मीटर	मॉइस्चर लेवल माप
38.	मैग्नेटिक स्टिर्रर्स	सैम्पल एक्सट्रैक्शन
39.	सॉलिड फेस एक्स्ट्रैक्टर	सैम्पल एक्सट्रैक्शन
40.	बर्नर्स	एसेप्टिक वर्क एंड अदर बर्निंग
41.	रेफ्रैक्टोमीटर/ डिजिटल रेफ्रैक्टोमीटर	टीएसएस माप
42.	हंटर लैब	कलर माप
43.	स्टेबिल्टी चैम्बर्स	शेल्फ लाइफ अध्ययन
44.	डीप फ्रीज़र (माइनस 20 डिग्री सेल्सियस)/लैब स्केल रेफ्रीजिरेटर	सीआरएम स्टोरेज
45.	ऑटोमेटिक सोक्शलेट ऐपरैटस	फैट एक्सट्रैक्शन
46.	केजेल्डहल ऐपरैटस	प्रोटीन का अनुमान
47.	इलैक्टोफोरेसिस	प्रोटीन निर्धारण
48.	सोल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर	खाद्य सैम्पलों से मिश्रणों का एक्स्ट्रैक्शन
49.	कलोनी काउंटर	बैक्टिरिया कलोनी काउंटिंग
50.	बायो सेफ्टी केबिनेट	सैम्पल एक्स्ट्रैक्टर
51.	थर्मोमीटर/डिजिटल थर्मोमीटर	तापमान माप
52.	बॉम्ब कैलोरीमीटर	कैलोरिक वेल्यू मापन
53.	CO_2 कैलोरीमीटर	सैम्पल ऊष्मायन
54.	रोटरी इवोपोरेटर	सैम्पल कॉन्सेंट्रेशन
55.	लैब स्केल डिकॉर्टिकेटर, हस्कर, शेकर, सीव्स, व्हाइटनेस टेस्टर, हैंड हेल्ड मॉइस्चर मीटर, कैलीपर्स आदि।	निकटस्थ विश्लेषण

संलग्नक 2

एपीडा से मान्यता प्राप्त एजेंसियों से निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले एचएसीसीपी/आईएसओ और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए शुल्क संरचना का प्रारूप

I. **एचएसीसीपी, एफएसएमएस, आईएसओ प्रमाणन के लिए एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों को अंतरिम शुल्क संरचना प्रदान की जाएगी (आवेदन के साथ प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)**

रुपए में लागत

(क) इन-हाउस टीम की स्थापना और संयोजन
उत्पाद का वर्णन
इच्छित उपयोगों का निर्धारण करें
प्रवाह आरेख की स्थापना
प्रवाह आरेख की पुष्टि
जीएमपी, जीएचपी और स्वच्छता की स्थापना
संभावित खतरों की सूची बनाना, जोखिम विश्लेषण करना और नियंत्रण के लिए कोई उपाय करना
महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं का निर्धारण (CCPs)
प्रत्येक सीसीपी के लिए महत्वपूर्ण सीमाओं की स्थापना
सीसीपी के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली की स्थापना
सुधारात्मक कार्रवाइयों की स्थापना
सत्यापन प्रक्रियाओं की स्थापना
दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग की स्थापना
एसओपी की तैयारी

(ख) जागरूकता/प्रशिक्षण
(ग) अस्थायी यात्रा और आतिथ्य व्यय (कार्यान्वयन लागत का 25% से अधिक नहीं)
(घ) कर

कुल

तिथि: स्वीकृत हस्ताक्षरी
स्थान: नाम और पद

II. **एचएसीसीपी, एफएसएमएस, आईएसओ प्रमाणन के लिए एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों को अंतरिम शुल्क संरचना प्रदान की जाएगी (आवेदन के साथ प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)**

रुपए में लागत

(क) पंजीकरण शुल्क

लेखा - परिक्षण शुल्क

मान्यता प्राप्त प्रमाणन शुल्क

(ख) अस्थायी यात्रा और आतिथ्य व्यय (प्रमाणन लागत का 25% से अधिक नहीं)

(ग) आवधिकता के साथ 3 वर्षों के लिए आवधिक निगरानी की लागत

(घ) कर

कुल

तिथि: स्वीकृत हस्ताक्षरी

स्थान: नाम और पद

परिशिष्ट 3

लिंकेज शीट

फर्म पंजीकरण संख्या/चालान के समेकित विवरण में भुगतान/फाइटो संख्या/कंटेनर संख्या और परीक्षण रिपोर्ट का विवरण शामिल है

क्र.सं.	**फर्म पंजीकरण संख्या.**	**इनवायस संख्या और तिथि**	**प्रयोगशाला भुगतान विवरण**							**फाइटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र नंबर और तारीख**	**कंटेनर सं.**
			प्रयोगशाला का नाम (एपीडा की पंजीकृत प्रयोगशाला)	बिल राशि	टीडीएस राशि	शुद्ध राशि	चेक संख्या और तिथि	प्रयोगशाला प्रमाण पत्र/ परीक्षण रिपोर्ट संख्या	प्रमाणित प्रमाण पत्र/ परीक्षण संख्या		

संलग्नक 4

निगरानी के लिए वचनबद्धता का प्रारूप

(प्रतिपूर्ति दावे के साथ प्रस्तुत किया जाए)

..... (निर्यातक का नाम) ..... (इकाई का पता)..... (जिन उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण अनुदान किया गया है) के द्वारा प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्र की वैधता की पूरी अवधि के लिए या तीन साल के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुरूप निगरानी की जाएगी। निगरानी की आवधिकता प्रमाणन कार्यक्रम के दायरे के अनुसार होगी। हम एपीडा को निगरानी पूरी होने पर निगरानी रिपोर्ट, गैर-अनुरूपता और उसके अनुपालन को प्रस्तुत करने के लिए भी सहमत हैं । यदि हमारे (निर्यातक) द्वारा निगरानी नहीं की जाती है तो एपीडा द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की वापसी के साथ एपीडा के साथ हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान:

तिथि:

निर्यातक का नाम

संलग्नक 5

दावा हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(चार्टर्ड एकाउंटेंट के लेटरहेड पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स …… द्वारा …… (मंजूरी पत्र की तिथि) से …… तक की अवधि के दौरान …… (परियोजना) पर ..... (राशि शब्दों में) व्यय की गई हैं।

भुगतान विवरण निम्नलिखित हैं: बिल संख्या और तिथि (उस एजेंसी द्वारा दावा किया गया जिसके माध्यम से परियोजना निष्पादित की गई थी)

राशि (रुपये):

निर्यातक द्वारा किए गए भुगतान के विवरण बैंक विवरण के साथ जांच की गई है और विधिवत सत्यापित हैं:

चैक	तिथि	पक्ष का नाम	इनवायस संख्या के लिए भुगतान.	चेक क्लीयरेंस की तिथि	टीडीएस कटौती और जमा (रु.)	भुगतान की गई शुद्ध राशि (रु.)

दिनांक:

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर
यूडीआईएन और मुहर के साथ

संलग्नक 6

संपत्ति के जेनरेशन की प्रतिपूर्ति की स्थिति में जमा किया जाए (100 रुपए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

		BONDmadethis dayof , Two Thousand Eighteen in favour of**AGRICULTURALANDPROCESSEDFOODPRODUCTSEXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY**, an Authority established by an Act of Parliament, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 having its Office at 3rd Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, (Opp. Asiad Village), New Delhi – 16 (hereinafter referred to as "APEDA" which expression shall, unless repugnant to the context, include its successors and assigns) of the One Part.
INDIVIDUAL	*	By Shri sonofShri Residentof (hereinafter called 'the Beneficiary', which expression shall, unless repugnant to the context, include his heirs, legal representatives, executors, administrators, successors andassigns)
SOLE PROPRIETOR	*	Shri Sole ProprietorofM/S, having place of business at ,(hereinafter called the Beneficiary, which expression shall, unless repugnant to the context, include his/her, legal representatives, executors, administrators, successors andassigns.
PARTNERSHIP FIRM	*	M/S , a partnership firm duly registered under the Indian Partnership Act, 1932 having its place of businessat throughit s registered Partner Shri/Smt. (hereinafter called the Beneficiary, which expression shall, unless repugnant to the context. Include all the Partners of the Firm and their heirs, legal representatives, executors, administrators, successors and assigns)

COMPANY	*	M/s , a Company registered under the companies Act, 1956 having its registered Officeat (hereinafter called 'The beneficiary which expression shall, unless repugnant to the context, include its successors and assigns of the Other Part. WHEREAS APEDA has evolved and announced a Scheme known as (specify name of the scheme) (hereinafter called 'the scheme') on such terms and limitations as contained in the Scheme. --- • Strike off whichever is notapplicable AND WHEREAS the Beneficiary has been registered himself/itself for availing the benefits under the scheme as per the relevant norms, conditions and eligibility criteria therefore. AND WHEREAS APEDA announced a project to provide financial assistance for (Specify the nature of assistance/activity) AND WHEREAS the Beneficiary has implemented the project and in the process generated the assets, namely (Specify the assets) (the assets so generated shall hereinafter be called the assets) AND WHEREAS the Beneficiary has incurred expenditure on the project under the scheme towards procurement of the assets; and further submitted a report on the

	activities proposed to be undertaken, the aims and objects and the benefits expected to accrue therefrom, with the procurement/generation of the Assets; with proof of incurring of expenditure to the tune of Rs. (Rupees only) (Herethe exporter has to fill the total expenditure incurred on execution of the project as per the CA Certificate). AND WHEREAS in terms of the Scheme, APEDA has agreed to subsidise the expenditure incurred by the Beneficiary as per the In-Principle-Approval (IPA) letter issued by APEDA in this regard) subject to the Beneficiary executing necessary bond valid for a period of three years assuring and ensuring proper implementation of the Scheme and effective utilisation of theassets. NOW, THEREFORE, THIS BOND WITHNESSETH as follows : In consideration of reimbursement by APEDA of expenditure incurred under the Scheme and in generating the assets,ofRs. (Rupees Only) (Here the exporter has to fill the sanction amount of financial assistance as per the IPA letter issued by APEDA in this regard) the Beneficiary shall and both hereby agree and undertake to be bound by the terms of this bond hereinafter appearing.
1.	It is the term of this bond that
EFFECTIVE UTILISATION. 1.	The Beneficiary shall make effective utilisation of the assets only for the purpose as visualised, specified and understood under the Scheme.

GOOD WORKING CONDITION AT GIVEN ADDRESS.	2.	The Beneficiary shall maintain the assets in good working condition at all times at the given address of the Beneficiary;
STATEMENTOF ACCOUNT AND PERFORMANCE.	3.	The Beneficiary shall furnish to APEDA such Statement of Account and of performance, or any other information called for by APEDA from time to time;
ACKNOWLEDGEMENT OF ASSISTANCE. COMPLIANCE OF FURTHER TERMS.	4.	The Beneficiary shall ensure that every report or asset produced under the Scheme shall acknowledge that the same was produced with the financial assistance of APEDA; The Beneficiary shall comply with any term or condition that may be imposed from time to time, by APEDA to ensure to achieve the objectives of the Scheme; and on such condition, being imposed on the Beneficiary by notice in writing, the same shall be binding on theBeneficiary;
NOT TO PUT TO COMMERCIAL USE.	5.	The Beneficiary shall not put the assets to commercial use or to a purpose other than the one under and for the implementation and promotion of the Scheme.
NOT TO SELL ETC.	6.	The Beneficiary shall not sell or transfer or alienate or otherwise part with the possession in whole or part of the assets.
NOT TO VIOLATE TERMS.	7.	The Beneficiary shall not violate any of the terms of this bond on the Scheme during a period of three years from the date of execution of this bond ; and

INSPECTION	8.	The Beneficiary shall allow the representative of APEDA to inspect the assets and the place of operation of the Beneficiary from time to time; and the Beneficiary shall allow such inspection without any hinderancewhatsoever.
2.		In case of breach of any of the terms of this bond, or the terms that may be imposed by APEDA from time to time as aforestated and/or the terms of the Scheme,thedecisioninthisregardoftheChairmanofAPEDAshallbeatlibertyto

recover the full amount of reimbursement together with interest thereon @ 12% per annum; and shall be at liberty to take any Civil and Penal action as may beadvised including cancellation of the Registration-cum-Membership Certificate of the Beneficiary with APEDA, black-listing of the Beneficiary as an exporter by public notice or otherwise, and to informing the same to the Financial Institution, Banks and the Chief Controller of Exports andImports.

If any dispute or difference arises between APEDA and the Beneficiary in connection with, arising out of or touching the terms of this Bond, and/or the Scheme or in relation to the interpretation of the terms thereof, the same shall be referred to the Sole Arbitration of the Chairman of APEDA: or at his discretion, to an officer appointed by him: and the decision of the Sole Arbitrator shall be final and binding on APEDA and the Beneficiary. The provisions of Arbitration Act, 1940 shall be applicable to such Arbitration; and the venture shall be New Delhi.

Subject to clause 3 above, the jurisdiction to deal with the disputes, claims and heights of the parties, has agreed to be confined to the Courts in Delhi only, and no other Court shall have jurisdiction to entertain the same.

IN WITNESS WHEREOF the Beneficiary has executed this bond in NEW DELHI on the day, month and year first abovewritten.

SIGNED, SEALED AND EXECUTED.

By the
above described

M/s……..

Through
In the presence of

गवाह/साक्ष्य : 1. नाम : गवाह के हस्ताक्षर पता : 2. नाम गवाह के हस्ताक्षर पता

(यह बांड दिनांक के साथ नोटरीकृत करना आवश्यक है। इस बांड के प्रत्येक पृष्ठ को नोटरी द्वारा नोटराइज़ किया जाना चाहिए और कंपनी सील के साथ निर्यातक द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाना चाहिए।)

संलग्न 8

संस्थानों की संकेतक सूची जहां निर्यातक तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं

1)	आईसीएआर संस्थान
2)	केन्द्रीय/राज्य सरकार कृषि विश्वविद्यालय
3)	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
4)	निफ्टेम(एनआईऍफ़टीईएम) कोंडली, हरियाणा
5)	सीऍफ़टीआरआई, मैसूर
6)	आईसीआरआईएसएटी, हैदराबाद
7)	रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला (डीएफआरएल)
8)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)
9)	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)
10)	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (एमएएनएजीइ), हैदराबाद
11)	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर
12)	एनआईआरडी, हैदराबाद
13)	भारतीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान, पुणे
14)	कृषि क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत संगठन, **यूएनसीटीएडी – ईएमपीआरइटीइसी**
15)	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में विकास, गुणवत्ता प्रबंधन और निर्यात में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला कोई अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान।
16)	अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई)